सेवा में,

03/02/22- प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के अधिवक्ता के निवेदन पर पत्रावली आज सुनवाई हेतु गयी। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त अन्वाद प्रकरण के सम्बन्धित पक्षों के सम्बन्ध में हम पक्षकारान के पक्ष गांव के कोई व्यक्तियों द्वारा लोक अदालत की मध्यस्थता के माध्यम करा दिया है जिसके विवादित कार्यवाही के सम्बन्ध में हम पक्षकारान के पक्ष अब किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा है जिसके हम अब उक्त अन्वाद प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते हैं उक्त अन्वाद प्रकरण आपसी समझौता लिखित स्वेच्छिक फैसला द्वारा प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त अन्वाद प्रकरण जरिये समझौता लिखित स्वेच्छिक किया जाने की विधि सुना होकर हस्ताक्षर उपर हो।

(आशीष पारीक)

नारायण

मांगा

रूपाराम

वीरपाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:11:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी